

Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology

Kumarganj- 224 229, Ayodhya (U.P.)



PROCUREMENT RULES



PROCUREMENT OF GOODS & SERVICES AND PURCHASE OF VARIOUS ITEMS IN AACHARYA NARENDRA DEVA UNIVERSITY OF AGRIL& TECHNOLOGY, KUMARGANJ, AYODHIYA

The procedure for purchase of various articles required for use in departments/sections of the university and for getting miscellaneous work done was issued by office memo No NDU/29185/Acctt/ dt. 10-03-1980. However, it was superseded by office memorandum No. 1242-A/Acctt/ dated 18-11-1987 issued by Vice Chancellor. The above mentioned office memorandum dated 18-11-1987 is enclosed herewith. Since above office memorandum has not been revised and various change have been made in Financial limits as well as introduction of new method of purchase like GEM and E-tender and discarding of old methods of DG&D) and rate contract methods of State Government it feels imperative to give a brief note about the current scenario of purchase of goods and services etc. being done In Acharya Narendra Deva University of Agril.& Technology.

As far as the purchase of goods & services and other items are concerned the University follows the rules and procedures of State Government. As per State Government rules the purchase of goods & services and other items will be categorized below:

(i) Direct purchase of items

As per U.P.Govt. guidelines , if the standon is required for Purchase of items whose total value is less than 20,000/- direct purchase from market can be made. Generally such purchases are emergent in nature , so they are procured from local market near University after examining the estimate of the items.

(ii) Purchase of items through Quotation:

If the demand for items to be purchased exceeds the value of Rs. 20,000/- but it is less than Rs. 100000/- then those items are purchased from the market by the method of quotation in which 3 or more quotations are collected from the market. The purchase committee set up exclusively for it opens the quotations and recommend for the purchase of items with lowest rate(L-1). After recommendations of the committee the appropriate sanctioning authority approves quotation and then the purchase is accordingly done.

(III) Purchase of items through Tender:

As per State Govt. Rules ,if items or items to be procured exceeds Rs. 1.00 lacs ,then the procurement is made by the process of tender. In this method tender notice is published in at least 2 newspapers who have large circulations. The Tender is invited in 2 bids normally of which one Technical bid and other is Financial bid. The tenderers deposites cash/ money in the form of TDR/DDR at the time of putting tenders. A Tender Committee is made to open tender received. The Technical Committee first opens the technical bid and the tenderers who qualify the technical requirement are declared valid by the committee. The financial bid of the technically valid tenders is opened by the committee. The Tender committee on finance opens financial bid and the firm with lowest price quo(L-1) is selected.

(iv) Purchase of items through GEM

For the purchase of materials & services in the University ,the system of E-market place Gem developed by Govt.of India has been implemented by University order NO.INDUAT-C7/Estt./2018/673 dt. 23-06-2018 .Goods which are available on Gem portal are procured through Gem portal.

(v) Purchase of Items through E-Tender

Goods which are not available on Gem portal are procured through E-tender. In addition to goods procurement the construction /maintenance works costing more than 1.00 lacs are got executed through E-tender as per State Govt. Rules .

(8)

N.D. UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
(KUMARGANJ), MAHZHEAD

OFFICE MEMORANDUM



The procedure for purchase of various articles required for use in the departments/sections of the university and for getting miscellaneous work done had been laid down in office memo no.NDU/25165/Admtt.I/I dated 10.3.1980. It has since been increasingly felt that the prescribed procedure needs suitable amendments. Hence, in supersession of all previous orders on the subject, the procedure for purchase and getting miscellaneous jobs done is revised as hereunder :

2.(a) Purchases shall be made or jobs got done at the lowest rate. To this end, at least three quotations/tenders shall be obtained except as stated in para 3(a),(b) & (c) infra. Quotations, enquiry letters, giving full particulars of specifications and terms of supply or execution, shall be sent to reputed firms, asking them to send their quotations under sealed cover by the prescribed date. If time is short, quotations may be collected through a committee constituted by the Head of Office. Quotations shall be opened in the presence of the officers as mentioned in para 3(a) & (c). A comparative chart of rates shall then be prepared giving details of the terms and conditions of supply or execution, irrespective of each firm and shall be signed by all present. Normally the order for supply or work shall be given to or recommendation made in favour of the firm quoting the lowest rate. If rate other than the lowest is approved or recommended, specific reasons will have to be recorded for this departure from the general rule.

*

2. (b) When the value of the order for supply or work to be done is coped and above Rs 10,000/-, tender notices shall be floated through the Press, giving full details of specifications and terms of supply or execution. However in ~~in~~ ~~urgent~~ cases short notice tenders can be invited from the required firms direct after recording specific reasons of the emergency. If cash money is required it shall be taken in the shape of an account payees bank draft/banker's cheque payable to the University. The remaining procedure shall be the same as stated in para 2(a), supra.

3.(a) No tender or quotation shall be required for purchase of an item which is available on D.G.S & D.E.I./ University rate contract, or from a Government/semi-government agency, Co-operative Society, University or Institute.

3.(b) The Head of Office shall be competent to accord approval for the purchase of an item of particular brand or make to be purchased from the manufacturer concerned or from the sole agent on the price list of the firm concerned, to the extent he is competent to sanction expenditure. The proposal(s) involving expenditure in excess of this limit shall be referred to the Vice-Chancellor for specific approval. Proposal for purchase of an item of a particular brand or make should be accompanied by detailed justification for such a recommendation. Quotations or tenders shall also not be required for purchase of books(not book volumes) from reputed wholesalers on terms & conditions prescribed by the University Grants Commission from time to time. In case of emergency, books may be purchased from retailers on terms and conditions prescribed by the University Grants Commission from time to time.

3.(c) Quotation shall not be required for purchase upto Rs 200/- or repairs of vehicles, tube-wells, farm machinery & equipments other than office equipment upto Rs 500/- provided a certificate to the effect that the rates are reasonable, is recorded on the cash memo/bill by the Identifying Officer/Head of Office. Quotation shall not be required upto Rs 2000/- at a time but a certificate of consumption of the articles & quality will be recorded by the responsible officer/official in case of articles to be purchased for preparation of meals/refreshment for training, workshop & seminar.

(d) For purchases valued over Rs 200/- and repairs worth more than Rs 500/- but not above Rs 10,000/- the quotation shall be opened by the U.G.C.D. in the presence of any TWO Heads of Offices or one of them from the concerned department of purchase in the case of centralized items listed in para 4 infra and by the Head of Office concerned and two other responsible officers nominated by him in the case of non-centralized items.

(e) In case of items and works worth Re 5,000/-and more, the tender shall be opened before the respective purchase committees mentioned in para 9 infra.

L. The purchase of following items required by the University shall be made centrally :-

- (a) Furniture for use in offices, colleges, libraries, hospitals and guest-houses except lab. tables, lab. stools & other lab. fixtures.
- (b) Office equipments such as type-writers, stencil writing and cyclastylus machines, duplicating systems such as Xerox and photocopies.
- (c) Electrical appliances such as generators, air-conditioners and water coolers.
- (d) Farm machinery costing Rs 10,000/- or more, cycles, rikshas, double carts.
- (e) All stationery items expenditure debitable to the general budget. However for the Research and Extension Schemes the stationery may be purchased on the rates approved by the central purchase committee as per provision made in the budget;
- (f) Safes, almichas & racks, brief-cases and leather-bags;
- (g) Glassware & chemicals for laboratory use if the purchase is to be made from sources other than Government/Semi-government agency or the firm with which the University has entered a rate contract on the recommendation of the Central Purchase Committee.

The remaining items except purchase of animals for farm or dairy shall be treated as non-centralised items. The purchase in the case of centralised items except stationery, shall be initiated by the Dy. Stores Purchase Officer on receipt of requisition from the concerned officer, at least 6 weeks in advance subject to budget provision. The Dy. Stores Purchase Officer shall report the reason in writing if he fails to obtain the supply during the period of six weeks and also what further time is required in procurement. The concerned officers shall ensure that sufficient funds have been provided in the budget for purchase of the indented items or execution of the desired work and that induction of competent authority for the purchase or execution of work has been obtained. In case of non-centralised items, the indenting officer shall initiate the purchase. The Dy. Stores Purchase Officer shall move the proposal for purchase of office stationery in bulk every six months.

5. There shall be two purchase committees, one for centralised items and the other for non-centralised items, to consider and make recommendations for purchase and works valuing above Rs 10,000/- . The purchase committees are constituted as hereunder :-

(a) Purchase Committee for centralised items

- (i) Comptroller ... Member
- (ii) Concerned Dean/Director/Registrar/
Admin. Officer/Head of Office. ... Member
- (iii) Any other invitee whom the
committee may co-opt for technical
advice. ... Member
- (iv) Dy. Stores Purchase Officer ... Secretary

The seniormost officer will be the Chairman of the committee. Presence of three members shall form quorum.

(b) Purchase Committee for non-centralised items

- (i) Concerned Dean/Director/
Head of Office. ... Chairman
- (ii) In-charge Officer of the Department
concerned. ... Member
- (iii) Dy. Stores Purchase Officer/Stores
Superintendent ... Member
- (iv) Comptroller or his nominee not
below the rank of Accountant. ... Member

6. Purchase of Animals

It may not be possible to follow the purchase procedure prescribed above for the purchase of animals. A committee of concerned scientists/officials and one nominee of the Comptroller shall be constituted by the undersigned on the recommendation of the Dean/Director concerned. The committee will visit Pashu Melat, concerned institutions or markets to finalize the purchase of animals. Such animals may include bullocks, bulls, cows, buffaloes, sheep, goat, pigs, poultry birds and other animals as are required for teaching, research and extension programmes from time to time. However, as far as possible efforts should be made to purchase the animals from Institutions of repute.

7. Purchase of Medicines

Procurement of all medicines required for staff members, students, animals according to medical officers(Veterinary Scientists for animals) will be made on the price list of the manufacturer from a reputed chemist and druggist on wholesale.

(6)

-5-

rated as far as possible on the approval of Central Stores
Purchase Committee.

3. Purchase of vehicles, tractors, trolley etc. and repairs, physio-

(a) Whenever all vehicles, tractors and trolleys shall be purchased by the officer-in-charge(vehicles). The vehicle section shall maintain inventories of such purchases properly. The details of vehicles, tractors, trolleys and trolleys as far purchased by the Central Stores authorities of which have been made in the stock books of central store shall be furnished to the officer-in-charge(vehicles) by the Central Store for necessary entries in their record on the basis of information received from the Head of Office of Central Stores.

(b) All repairs required in vehicles, tractors and other farm machinery may be got done in the University workshop as far as possible and all parts required for replacement from time to time may be purchased in accordance with the procedure laid down in foregoing para and kept in the store of the workshop. All repairs of vehicles and tractors etc. which may not be possible in the University workshop, may however, be got done in garage approved by the Government or from Agro-industrial corporation as the case may be. Estimates of all such repairs shall be scrutinised by the officer-in-charge(Vehicles). The concerned officer shall, however, obtain prior approval of competent authority for expenditure involved in all such repairs before orders for repairs are given to the garage concerned. After repairs are carried out, the officer-in-charge(vehicles) will record a certificate about actual replacement of parts and satisfactory repairs on the reverse of the bill/before it is verified and sent for payment to the Comptroller. A certificate about entry of the old part in the scrap register should also be recorded on the bill by the officer-in-charge(vehicles). However the vehicles repaired in the approved garages, the formalities of recording certificate of satisfactory repairs, entry of the old parts in the scrap register will be done by the In-charge of the institution or by his technical nominee, if any in respect of vehicles stationed out of the main campus.

(c) Estimates for repairs of duplicators, type-writers & other office equipments will be examined by the Head of Office concerned and repairs get carried out on competitive rates in case the expenditure involved exceeds Rs 100/-. The bills pertaining to such repairs shall be verified by the Head of Office concerned. In case of repairs to be done by the authorised dealers for specific make no comparative rates are required.

(d) In emergent cases, out side the headquarters, if the situation so requires, repair of vehicles upto Rs 500/- may be got done by the Indenting Officer and ex post facto sanction may be obtained from the competent authority.

9. Placement of order

When the purchase has been finally approved by the competent authority the concerned Head of Office or the person authorised by him shall place the orders on the respective firm within three working days. The orders for supply of centralised items shall be prepared by the By-Stores Purchase Officer and issued under the signature of the Head of Office/B.Y.O.B. in respect of central stores purchase section. The order for supply shall clearly indicate the specifications, quantity of items required, terms of supply, period of supply, instructions for proper packing, delivery and consequences of delayed and unsatisfactory suppliers etc. Where necessary a clause detailing the penalty to be imposed in case of delay and infringements of terms of supply may be included in order to avoid subsequent complications. The firm should be given definite time for executing the order failing which the order would stand cancelled. Extension of time can, however, be allowed in genuine cases. The supply order may be issued well before the close of the financial year to ensure receipt of supply and payment to supplier in the same financial year, so that no liability is carried over to the next financial year.

10. Purchase through Purchase Refex

The method of purchase through the purchase party shall be adopted only in the emergent cases. The purchase committee shall be constituted by the Head of Office concerned in respect of the purchase to the extent he is competent to accord financial sanction. The cases not covered by the provision shall be referred to the Vice-Chancellor.

11. Stock Entry

If the supplies received have been found in order, the same will be entered in the stock register of the Head of Office concerned and in case of centralized items in the central stores within a week and the following certificate will be recorded on the back of the bill :

"Certified that the materials listed on the reverse of this bill from Sl.No.....to... have been received in good condition and entered in the stock ledger Pg.... Pages...."

Head of Office . Dy. Stores Purchase Officer

After recording the certificate mentioned above the bill will be verified for payment and sent to the Comptroller for payment. While verifying the bill, special attention shall be given to the payment of incidental charges i.e. packing, forwarding, freight, sales tax, insurance etc. It may be examined in terms of quotations/tenders and the order placed for supply. Thereafter the bill will be sent to the Comptroller for payment. Certificate to the effect that "No advance payment has been made in respect of the supplies in question or if advance payment has been made, adjustment amount is attached with the bill" should also be given on the bill by Head of Office/Dy. Stores Purchase Officer.

12. Payment of the bill

On receipt of the bill duly verified by the Head of Office mentioned above the Comptroller shall get the bill examined by the office, particularly the stock entries and proper observance of purchase procedure by the Head of Office/Dy. Stores Purchase Officer and thereafter arrange for its payment by a cheque drawn in the name of the actual payee, which shall be despatched to the payee concerned through registered post under instruction to the Head of Office/Dy. Stores Purchase Officer as the case may be. If the bill is in order it will be passed for payment within a week.

13. The purchase procedure laid down in this office memorandum will come into effect from the date of its issue.

(KIRIT BHAGA)
Vice-Comptroller

OFFICE OF THE COMPTROLLER, N.D.UNIVERSITY OF AGRI. & TECHNOLOGY
RAJLABDI (U.P.)

No. 1240-A/Recd.

Dated 18/11/1987

- Copy enclosed for information and necessary action to :-
1. All Heads of Offices 2. Officers-in-charge of
3. Officers-in-charge, National Research Stations
Demonstration/DFC Scheme 4. Dy. Stores Purchase Officer
5. Accounts of the Comptroller's Office

(Ram Nath)
COMPTROLLER

आदेश

गिल्ल ताडा अगुणा-1 नं ३० प्र० राजन के शासनादेश नं १-१-८६४/दस -०४-१५(१)/१६
दिनांक २३ दिसंबर २०१४ दिसके द्वारा सामग्री कथ नियमों के अन्तर्गत कोटेशन /ठंटा अभियंत
करके समर्पी कथ करने हेतु विरोध सौचा में दृष्टि किये जाने के व्यवस्था की गयी है वा
दिव्यांशुदाम ने लागू किये जाने हेतु माननीय कूलपति महोदय द्वारा अनुशासन प्रदान किय
गया है।

अह उपरोक्त शासनादेश की घाषाप्राप्ति इस आशय से संलग्न कर प्रेक्षित की जा रही है कि
इस शासनादेश में 'सोहेत व्यवस्था' एव शतों का अनुकलन सुनिश्चित करते हुए सामग्रीयों का कथ
सुनिश्चित अनुकलन का कार्य करे।

वित्त नियंत्रक
राज्यपाल

कर्त्तव्यालय वित्त नियंत्रक,
नरेन्द्र देव कुमि एवं प्रोटोपिक विश्वविद्यालय, कुमारपाल, झज्जाबाद।
पत्राक ।८०८ /लेख/ सामग्री कथ /२०१४। दिनांक २५।१।२०१४।

उपरोक्त शासनादेश की घाषाप्राप्ति नियालिखित को शुद्धनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु इस आशय से सोहेत व्यवस्था में दर्शेत प्राक्षियां के अनुसार ही सामग्रीयों
का कथ सुनिश्चित रूप जाय।

- १- समस्त लिभराइटी/कार्डलिगार्ड।
- २- कलात अनुसार कंचों के उपरत प्रभारी अधिकारी।
- ३- सनस्त प्रभारी अधिकारी को००१०के०/को०१०के०/ई०सी०ए० कंच।
- ४- दप अडार कथ अधिकारी।
- ५- कूलपति एवं राज्यपाल नाननीय कूलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- ६- दूसरों अनुसार अन्यान्य एवं दूसरा विवर।

वित्त नियंत्रक
राज्यपाल

राजानक अधिकार शासनादेश की घाषाप्राप्ति।



संख्या-ए-१- ८२४ / दस-०३-१५(१) / ८८

प्रेस्क.

मनमोहन,
विशेष सचिव
ललत प्रदेश शासन।

लंबा गे.

लगरत विधानालया एवं
प्राथमिक लायलपास्ट्री
३०३०।

ठिक्क (सेरेख) अनुमा-१.

विवरण : सामग्री का नियमों के अन्तर्गत कोटेजन/टंडर आमंत्रित करके सामग्री का वर्णन हेतु सिल्विय सीमा में बैठे।

Comptroller/A. M. Shahab.

Qam
VC

उपर्युक्त विवरक शासनाद्यारा नियमा-१-१- २०८८ / दस-०३-

१८-(१)८८, दिनांक १४-१०-१९९६ का कथा स्वर्ग गृहण करे नियमने रु. २,५००/- (रु. २०-वा हजार चाँच सौ रुपये) तक की रीति और सामग्री दिना कोटेजन आमंत्रित किये जब वर्षे तक्षणिमाण-लायों एवं सरकार से सन्वादित सामग्री तथा अन्य राजसी के क्षमता रु. १५,०००/- (रु. १५०० हजार) से अधिक मूल्य के स्थान लेण्डर आमंत्रित करके जाय करने को अनिवार्यता प्रदान की गयी थी।

२- यद्यपि इस सामग्री के मूल्यों में दूषि वृद्धि को दृष्टिकोण रखते हुदे राजसनाद्या नियमा-१-१- २०८८ / दस-०६-१५-(१)८८, दिनांक १४-१०-१९९६ में नियारित सीमा को नियम करते हुए शासन द्वाया उत्तरात् प्रमाव से वित्तीय सीमा में दृष्टि किये जाने का नियम लिया गया है। उत्तर शासनाद्या दिन-१५-१०-१०-१९९६ में नियारित वित्तीय सीमा में दृष्टि के फलन्वलम अव रु. २०,०००/- (रु. २००० हजार) तक सामग्री दिना कोटेजन आमंत्रित किये जाय की दशा रखेंगी और नियम कार्या पूर्ण रूप से सन्वादित सामग्री तथा अन्य

Comptroller

प्रेस्क

लाग्री के कद हनु रु० 1,00,000/- (रु०एक लाख) से अधिक मूल्य की सामग्री के तिए टेंडर आमंत्रित करना आवश्यक होगा। निर्माण कर्त्ता एवं मरम्मत कामलो रु० 1,00,000/- (रु०एक लाख) से अधिक मूल्य की सामग्री के कद के लिए लोन लिपाठ विभाग के हाथा नियमों के प्रस्तर ३६० से ३६४ के प्राविदानों एवं अनुपालन किया जाया चाहिए।

३- विश्वाय नियम संघर छण्ड ६ भाग-१के परिणिष्ट १० के नियम ४ व ३ से चर्चाधन अलग रख जारी किये जायें।

नवदीय,

(मनोहन)

विशेष सचिव।

लख्या-३-१-८५(१)/दस-२००६-१५(१)४६ दिनांक २३ सितम्बर २००६

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सचिनर्त्त एवं उपर्युक्त कार्यवाही हनु प्रेषितः-

- १- गुडान महालेखाकार (सेवा एवं हकदारी) प्रधम एवं महालेखाकार (लखा) हिन्दायरुप्र० इलाहाबाद।
- २- महालेखाकार (लखा फीसा) प्रधम एवं द्वितीय उप्र० इलाहाकार।
- ३- निदेशक कानून ३०प्र०, १८१८ जवाहर चबूत लखनऊ।
- ४- निदेशक विश्वाय लंजा उप्र० एवं हंदराबाद लखनऊ।
- ५- उप्र० सचिवालय के सनस्त अमुम्य।

आङ्ग से

(मनोहन)

विशेष सचिव।

६७३

नवमीत सहगल
अचर गुण्डव संविव
कुरु प्रदेश रासन।

201

- १- समस्त झपर भुजव सत्यिकाप्रगृह क मनिकामिचिद्
उत्तम शारदा।
 - २- सनस्त विद्यारथध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
 - ३- सनस्त मन्हज्जयभुजन उत्तर प्रदेश।
 - ४- रामस्त विलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - ५- आसुवत एवं लिंगेश्वर
उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश का ग्राम।

सुदूर लड्डू एवं साधारण उद्योग अनुग्रहीत

અધ્યાત્મિક દિવાનક 15 માર્ગદરો ૨૦૨૧

हिन्दू-जैन वर्षों में श्रीवराहा कार्यसीमिता जल्द बढ़ती है। अभी भी को उपलब्ध

五

प्रदेश के शासकीय विभागों में सामग्रीयोंमें के इन हेतु गारल सरलार द्यारा विकसित नवरूपों, फैनबैट लेस (डेण) एवं व्यवस्थाएँ अनिवार्य किये जाने के सन्दर्भ में सूचक लिए जाएं। इन उद्यम विभाग द्यारा शासनादेश संख्या-1/2017/325/18 2 2017-19/एसडी/22-6, दिनांक 23.08.2017 गिराये गये हैं। विक्स्ट्रिंग शिल्पविभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में एसडीसॉलिंग के अधार पर सहृदय संस्थान आपूर्ति किये जाने के संबंध में विभाग द्यारा शासनादेश संख्या-4/2015/707/179/प्र०/2/2015, दिनांक 18-12-2019 तथा इन विभाग द्यारा शासनादेश संख्या-717/एसडी/2020/प्र०/2020, दिनांक 13-3-2020 ये अन्त सेवायां डेंग पैटेन्ट के लायझन से क्रम विये जाने के रखण्डा लैं सुधार, लक्ष रज वायप्पा उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/2/3/114-2-2020/प्र०/एसडी/2016 दोस्री, दिनांक 23.08.2020 एवं शासनादेश संख्या-43/2020/प्र०/3/3/18-2-2020-प्र०/एसडी/2015 दोस्री दिनांक 07.12.2020 जिसके बाद गये हैं।

2- अंगदार्थे कहता है कि जेम पोर्टल से यात्र विवर... से यह हैनान में आगा है कि जेम पोर्टल से मैनपार्क और डैटिंग सेवाओं की आवृत्ति प्राप्त करने में ज़्यादत विद्युतों को लिखित कठिनाईया द्या रही है वय-जैस पोर्टल पर एक से अधिक संस्करण में डैट अना, विड निरस्त करने का स्पष्ट कारण तो देना, एमएसटीडी इकाईयों को फ़ैशनिंग से छूट अन्तर्व्यक्त तरीके द्वारा देना आदि; उत्तर के सम्बन्ध में मैनपार्क सुझाया है कि लंबे माध्यम से जेम पोर्टल पर सुटिपार्क बना किया जा सकता

(ii) जैसे सोर्टिंग पर एक रो ऑफिक L 1 जॉन्स एवं निडर के बीच हुए Run L-1 Tool का प्रयोग करना ऑफिवर्ड है। स्पेशल विडर का उपयोग सैम्युलेशन नहीं किया जायेगा, जिस हेतु साइटोडेशा संख्या -31/2020/273/-8-2-2020-37 (लाइसेंस/2016) में दिया गया 25.26.2020 से लाइसेंस की गयी है।

३- यह शास्त्रदेश होमप्रतिलिपि, शब्दों के लिया गया है। इस विवरण में अन्य सभी शब्दों की विवरण नहीं दिया गया है।

2- इस शास्त्रज्ञानी की प्रतिष्ठित वेद वृक्ष (Vedic tree) अनुभवों से बनायी गई है।

(2) जेस पोर्टल पर दिन में इंटरमॉडी० रो फ्रूट दिया जाना, कशको शासनादेश संख्या-42/2020/इ-153/18-2-2020-५/(ल०३०)/२०१८८०सी०, दिनांक ०७ दिसंबर, २०२० से स्पष्ट है कि किसी भी शर्ती ने इकाई वो इंटरमॉडी० से फूटपरिशेषत अनुचलन नहीं है।

(3) विडिओविडा में भएवाला दूलख इंटर्पोर्टी० जमा नहीं जाना आवश्यक है। इंटर्पोर्टी० में जिही भी ऐप्पी जो हक्कें के लिए इट अनुचलन नहीं है। इसके प्राप्त सेवाप्रदाता को विड की शर्ते तूने न करने पर ब्रेता त्वरा एक ग्राही से उसके क्षतिशुरूर्ती की आ सज्जी है।

(4) विड में प्रतिभाव करने वाले शर्ती प्रतिभावितों को जल्दी तकनीजों विड लिस्ट में रखने के स्पष्ट कारण का उत्तरेष किया जाना चाहिए। जैसे के रासनादेश संख्या ४२/२०२०/इ-१५३/१८४२-२०२०-५७(ल०३०)/२०१८८०सी०, दिनांक ०७ दिसंबर २०२० में डालेंगित है।

(5) जंग चार्टर पर विडविड गूर्ज हो जाने पर विडा वो विड किसी दौस खांग हों लिस्ट नहीं तिया जाना चाहिए। थोड़े विस्तीर्णवाले विड लिस्ट करनी आवश्यक नहीं हो, तो राजस्तानीकों रो अनुचलन प्राप्त करने के लिए ही विड लिस्ट की जानी चाहिए।

(6) विडविडिविड हेतु एक प्रदाता के लिए ३०० अनुचलन सेवा रुप्त्त ५००० है। जारी होने के कल मेवा शूल निधिरित नहीं तिया जाना चाहिए। उठ व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-४२/२०२०/इ-१५३/१८-२-२०२०-५७(ल०३०)/२०१८८०सी०, दिनांक ०७ दिसंबर २०२० में पारिवर्तन दिया गया है।

(7) कैना दूलख सालत विडिविडा में प्रतिभाव करने वाली इकाईर्हों की जांच इस हृष्टिकोग से भी को जानी चाहिए कि प्रतिभाव अरने वाली इकाईर्हों तरी-एकांक व्यवस्था की तो नहीं है।

(8) विडिविडा में प्रतिभाव करने वाली हक्कें व्यवस्था इंटरमॉडी० रायवा अन्य प्रभावों की हाँड़कापी उपलब्ध न बराते दी विधाता में ताकाई। ५५ इंच सेवालं घोषित नहीं तिया जाना चाहिए।

(9) शासनादेश संख्या-३१/२०२०/२७३/१८३-२०२०-५७(ल०३०)/२०१८८०सी०, दिनांक २५.०८.२०२० के दूलख स्पष्ट तिया गया है कि वर्षांत में जर्क कर ५५ इंच सांसार्ह कर्तिर्हों के हो जेस पोर्ट दूलख व्यवस्था रोमान्टाइट औ दूलख रखा जायेगा। कैनल नधैन इकाईर्हों का चयन सेवावीजन पोर्टल से हो अनिवार्य रूप से किया जायेगा। ब्रेता दूलख इंस्ट्रुमेंट परीक्षण किया। लाग चाहिए कि दूलख जो व्यावहारिक दैर्घ्य रों हो व्यवित करें ताका दूलख कार्यों को हो लेव बोजन पोर्टल पर पंजीकृत रहाए।

(10) एक दूलख विड बनाने से पूर्व जेस दैटेस पर उपलब्ध अन्वित ATC (Additional Terms and Conditions) का अलीशांत मध्यवाले कर जेना चाहिए, जिससे अनावश्यक शर्ते (यथादृशादेश एम्पर्व, OEM Turnover की भाग अदि) भी सेवा कोइ ने अनुचलन नहीं हैं ज लगायी जाए।

(11) इंटर्पोर्ट ने मुझे यह कहा कि जियेश हुआ है कि उपरोक्त मैनपायर अउटरोर्सिंग से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक २५ अगस्त, २०२० एवं ०७ दिसंबर, २०२० में जारी होनी वालों देख सम्बन्धित जेस की ATC (Additional Terms and Conditions) के अनुरूप हैं विड बनाने हेतु उन्ने अवैश्यक विडीर्होंस्थार्हों को निर्देशित कर तथा युर्ज तें की नवी किया जायेगा एवं उपरोक्त शासनादेशों के आलोक तो व्यक्तिगत बर तथा युर्ज तें की नवी किया जायेगा एवं उन्हे लिस्ट बरतो हुई सम्बन्धित उत्तरदातों कमीशरीअपिलियरों के नियुक्ति अनुशासनालक कार्यवाली करने के साथ ही सम्बन्धित कर्त्ता को कैना दूलख जेस दैटेस पर डिलिस्ट रखो हेतु नियेश होना चाहिए।

१- यह अन्वयित इलेक्ट्रोनिकों जारी किया गया है, अतः इस अन्वयित अनुचलन की अनुरक्षा होती है।

२- इस शासनादेश की प्रभावितता वर्त साइट <http://shasanaadesh.nic.in> से रात्नापिता वर्त जा सकती है।

जी श्रीमता हंसेल mscmosec2@gmail.com व hanscallup@gmail.com पर इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय
कर्ता कार्य करें।

हंसदीप,

नवनीत सहनल
अप्स मुख्य अधिकारी

-
- 1- ५० शासनामा इनेक्टिवली जारी दिल्ला बना है जिसे ५८८१ इस्ताकर की आवश्यकता नहीं है।
 - २- दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय नो प्रनाणितता देश ताहत <http://www.unescoindia.org.in/> से कृत्यवित्त की जा रही है।

कार्यालय इमाप

विश्वविद्यालय के समर्त विभागों/कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत किया जाता है तिं वे कार्यालय के प्रयोगार्थ स्वेच्छीय हथाहि जो भी सानभी जैस पोर्टल (GEM Portal) से क्राए की जानी है, उसका क्राए कैव्य जाने हेतु दिनांक/योग्य। ली व्यय मद इक है, धन की उपलब्धता, मेल खरीदे जाने का और विभिन्न विवरण सहाविद्यालय के अधिकारी/निदेशक के साम्बन्ध से कैर्डेव्य क्राए एवं भन्नार अनुभाव लो प्रेषित करें। राणी दिनांक से आफ जूनां की संकलित वर्तन हेतु कैर्डेव्य क्राए एवं भन्नार अनुभाव हास रखीकृति प्राप्त कर क्राए और नायकही धुगेश्वर ली जायेंगे। यह कार्यालय इमाप सशम उद्योगी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एस.के. पाटील)

प्रशासनिक अधिकारी

6/10/2018

गरेन्ट्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारसंज्ञ, फैजाबाद

नंतरांक-NDUAT-07/स्थ./2018/ ६२३

दिनांक-२३/६/१८

उपरोक्त वी प्रतीक्षित निन्मलिखित को सूचनार्थ एवं जावशक कार्यालय हेतु प्रेषित।

1. समर्त अधिकारी/निदेशक
2. टिक्ट नियशक।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. रानस्त कार्यक्रम समन्वयन, के.डी.के./के.डी.ले।
5. प्रभारी अधिकारी, क.अनु.के./सन्य रोप्त दोजनायें।
6. उप भण्डार क्राए अधिकारी, के.ट्री.इ क्राए एवं भण्डार अनुभाव।
7. कुलपति के अधिकृत को नाम कुलपति नामदय के अकलीकर्त्ता।
8. राज्यवित्त पत्रावलो।

(एस.के. पाटील)

प्रशासनिक अधिकारी

6/10/2018

संख्या-३/2020/773/18.२-2020-३७(विषय)/2016री.सी.

प्रधान,

नवलोत रहवाल
ज०४४ सुख्य जिला,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा गृं,

१-समस्त अपर कुर्स ताउचर/भूख राउचर/संविध,
३०८० शासन।

२-भूमुक्त एवं बिक्रीका,
उपग एवं उथग और्जाहन विदेशीत्य ३०८०,
कानपुर।

३-समस्त विभाग-एक, ३०८०।

४-सक्ति, अपूर्वकुर्स, ३०८०;

५-समस्त विभागितारी, ३०८०।

सुझाव, लघु एवं नियन्त्रण उचित अनुभवों-२

लखाचळ: दिनांक: २५ अगस्त, २०२०

विभाग-एक के शासकीय विभागों एवं उनके अधीकार्त्य संस्थाओं में नैतिक (अन्तर्राजिक अन्तर्राजिक) एवं भारत सरकार द्वारा विकासित गर्वान्मेन्ट-इ-गोवर्नेंटरा, जेम (GeM) लो शासन-देश संख्या-11/2017/३२३/१६-२-
२०१-९७(स.उ.)/2016, दिनांक: २३.०८.२०१७ हारा जैन-कृत विभाग द्वारा है। आजिक विभाग द्वारा
कठ शासन-देश के बीच गृं उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीकार्त्य संस्थाओं द्वै
हैं विभाग-एक (आजिक विभाग-एक अन्तर्राजिक) द्वै लिए भारत सरकार द्वारा विकासित गर्वान्मेन्ट-
इ-गोवर्नेंट-देश, जेम (GeM) द्वै व्यवस्था लघु दिये जाने के स्वाक्षर्य द्वै शासन-देश संख्या-
४/२०१९/२०१/९१-वा-२/2019, दिनांक १८.१२.२०१९ जारी किया द्वया है। इस शासन-देश द्वै
प्रक्रिया गृं सूचन, लघु एवं नियन्त्रण उचित तथा सेवाओंन दिभागों से शासन-देश द्वै द्वै
व्यवस्था के सम्बन्ध में राजा वार्षिकी भूमिका करने को अपेक्षा को गढ़ है।

गहिरा,

इपर्युक्त द्वै शासन-देश द्वै अवगत करना है कि शासकीय विभागों एवं उनके अधीकार्त्य संस्थाओं के सामाजिक के लक्ष तथा सेवाओं की आपूर्ति हैं लघु एवं नियन्त्रण उचित द्वै भारत सरकार द्वारा विकासित गर्वान्मेन्ट-इ-गोवर्नेंटरा, जेम (GeM) द्वै शासन-देश संख्या-11/2017/३२३/१६-२-
२०१-९७(स.उ.)/2016, दिनांक: २३.०८.२०१७ हारा जैन-कृत विभाग द्वारा कठ शासन-देश के बीच गृं उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीकार्त्य संस्थाओं द्वै
हैं विभाग-एक (आजिक विभाग-एक अन्तर्राजिक) द्वै लिए भारत सरकार द्वारा विकासित गर्वान्मेन्ट-
इ-गोवर्नेंट-देश, जेम (GeM) द्वै व्यवस्था लघु दिये जाने के स्वाक्षर्य द्वै शासन-देश संख्या-
४/२०१९/२०१/९१-वा-२/2019, दिनांक १८.१२.२०१९ जारी किया द्वया है। इस शासन-देश द्वै
प्रक्रिया गृं सूचन, लघु एवं नियन्त्रण उचित तथा सेवाओंन दिभागों से शासन-देश द्वै द्वै
व्यवस्था के सम्बन्ध में राजा वार्षिकी भूमिका करने को अपेक्षा को गढ़ है।

२- उल्लेखनीय है कि शासनदेश संज्ञा-८/२०१९/२०/१/९-मा-२/२०१९, दिनांक १४.१२.२०१९ के प्रस्तर-५ के अनुसार मैट्रिक्स आठटोँसिंग हेतु समय-समय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा व्यक्तिगत रूप से राजीनामा और आपाना/इडा/थीडीएक्सो/थीडीएसआईसी इनाडि के लाभस्थ से राजमान में प्रभावित आठटोँसिंग व्यवस्था से सम्बन्धित रहनात आधें जिला और देहों वाले हैं। अतः पटेश के उग्रत शारीरिक विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ संस्थाएँ/दिग्गमों/उपकरणों अदि जैसे घटिल के लाभज्ञ ने अनिवार्य रूप से जिले के लाभस्थ हैं और गैरवान आठटोँसिंग के व्यवस्था को जारीनो, जिसे देहु दिशा-निर्देश निम्नत्वत है-

- १- शासनादेश रोका-२/२०१९/२०/१/९१-ला-२/२०१९, दिनांक १८.१२.२०१९ के प्रत्यरूप-३(१) के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा संभाले जानीहैं। कार्डेस से किसी भी प्रकार ले जानाशी लेना पर्याप्त बहित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से रहने पूर्व अनुसार इन कर्तव्यों के संबंध में ग्रेटर विभाग वो रोका प्रदाता के दिल्ली कोइँ क्षी ऐकायत प्राप्त होने पर कोलिन्टन ली कार्यवाही बरते थे। अनिकार ग्रेटर विभाग/पर्सनों को हांगड़ा ग्रेटर डिभर्न उक्त लार्यावाही से जेंग, भारत गरकर की अनुमति लारोग।

२- उक्त शासनादेश के प्रत्यरूप-३(२) के अनुसार किसी भी प्रकार की अनिकारिता को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अन्वर्टिंग पर चयन आंतरिक सम से लेव्योजन पर्टन्स sewayojan.upnivs.ac.in के राज्यग्रंथ से वरिष्ठता के आधार पर किया जानेगा। सेवायोजन विभाग अपनी प्रैटिल गर वह सुविधित करेगा तिए एवं ही लक्षण मल्टीप्ल पंडीकरण व लक्षण सकें।

३- उक्त शासनादेश के प्रत्यरूप-३(३) के अनुसार आठ्टलोस्ट्रेन के आधिक से सेवायोजित होने के उपरन्त किसी कर्तव्य को सेवा प्रदाता द्वारा ददत नहीं करका। अनुशरनहीनता तथा दण्डनीन आवश्य अदि की विवित गों वेत्ता यिन्हें फी लक्ष्यित के प्रदाता ही ध्यानित/अर्पिता कर्मचारियों को सेवाप्रदाता द्वारा हटाय द्वारा सकेगा।

४- उक्त शासनादेश के प्रत्यरूप-३(४) एवं अनुसार सेवा के आधिक से ही जाफ्लसोमिण वर्गों लेके दी अनिकारिता इसके जाने से वर्तमान में कर्तव्य कर रहे लोडीवाली लिंगन्स्ट्रता वालित दही की जायेगी। वर्गमान के कर्तव्य कर रहे अनुदारों कर्मियों को ही जेंग पोर्टल द्वारा चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। इस हेतु कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के साक्षरत्य भी संतुष्ट उत्तम तर लेता हितान द्वारा संकायता वगे उपलब्ध यारोग्य लायेगा। वेत्ता द्वारा लोडीवाली कर्मियों का चयन सेवाप्रदाता पोर्टल के लोडीवाली रूप से किया जायेगा।

- 5- इन शासनादेश के प्रस्तर-४(1) के अनुसार कार्यिकै लो फिलम्ब से भूगतान को ऐकये वै छिए हेतु विभाग द्वारा अडिटोरीसिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जायी अनुरागी पर 18 प्रतिशत घाज द ऐनालटी लगायी जायेगी।
- 6- इन शीरागाहेश वे प्रस्तर-४(3) के मनुरार अभ्यर्थियों की लैनाती के सिवे सेप्यारोल दिभाल द्वारा भैंडल द्वारा लैन्डडॉइल लो वरिष्ठता भवत के अंतर्भूत चयन लिये जाने देखु देवाप्रदाता से विभागों द्वारा कार्यिकै द्वारा सौंग के अनुसार यथा एवं नदी की लिये पोर्टल से पंच अप्रेवलफर्मार्टी तथा २ था १ से अधिक लैन्डिंगों की भैंडल पर तो द्वारा द्वारा दरम्हु न्यूत्तम द्वारा आपेक्षलकर्टी द्वारा देवन विधि जायेगा। सेवाप्रदाता द्वारा एक प्रतिशत व्यलस्ता बनाकर उल्लिख दाता, व्यलस्ता एवं न्यूत्तम द्वारा हुई देवन विधि जायेगा जिसमें देवन विभाग द्वारा आनिवारी रूप से साम्भालित फिर्म द्वारा है।
- 7- जेम पोर्टल पर एंटीकृत देवता विभाग क्षणनो बाहर आईटीटी दो जैम द्वारा जागिर करके समिस रोक्षन मे जावर "मैनगावर रिसोर्स अडिटोरीसिंग सर्विसरा" का चालन करेगा।
- 8- क्रेडि विभाग अन्पव्याहार सम्बलित देवा के Service Level Agreement (SLA) को दर्ता के अनुसार दिर्दिसेत फिल्ड द्वारा उपयोग करते हुए जैम पोर्टल पर आपेक्षार्द रूप से विष्णु फहें देवता।
- 9- जैम पोर्टल पर यह ज्ञावश्यक है कि कोई द्वारा यदि अप्जे अद्वृत नहीं दर्ता जोड़कर विह फ्रांस करना दृष्टिता है तो दृष्टि जैम पर नहीं दर्ता द्वारा सुनाव प्राप्तिकर सकता है और जैम द्वारा दर्ता को उपयोग यादे जाए एवं पर देवता। विशेष के लिए अप्जे ज्ञावश्यक रूप से विड में जोड़ा जा सकता है। इस द्वारा कार्यिकै द्वारा लैन्डिंगों द्वारा उपलब्धता गयि लोहे धनरागी देवतप्रदाता देवते था फनार करते हैं तो रीवाज्जता यह कार्यालयी की शर्त जोड़ी जा सकती है।
2. देवा प्रदाता हेतु अहतार-
- 1- रिक्षित नेव.अ० के लिये सेवा द्वारा द्वारा की अर्द्धार्द जैम पोर्टल १५ दूरी से निर्धारित है। उत्तरास्त अद्वि विड की अद्वृतावित जागत १ करोड़ है तो देवता दिभाग न्यूत्तम धनरागी रु० ३० हजार एवं ग्राहिकतम ६० ५ लाख LMB/FDR के ८० लैंग लांग कर सकता है।

जहाँ थे दूसरे ने जिसका व्यवहार की जाती है-

प्राप्ति का नाम	निविदा: मूल्य	होस्टेलो/एफटर्स्कूलो अनुसारी
1- 5 लाड से 1 करोड़ रुपये तक	0.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के अंदर केवल होस्टेल एवं एफटर्स्कूल शिक्षण लेणा।	0.5 प्रतिशत
2- 1 करोड़ रुपये से अधिक	5 प्रतिशत	

हृष्टमंडी०/न०४ जना करने के संबंध में आईटी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
के शारणारेश संख्या २/२०१८/३०७५/८२-२-२०१८/४२आईटी०/२०१८/२२) दिनांक ०३
जुलाई, २०१८ के दस्तावेज में उल्लिखित व्यवस्था अद्वितीय होगी।

- 2- जेंग पोर्टल द्वारा 5 हेक्टेएर से अधिक धनतरथी की घट्ट भर, L-1 टिप्पानी लायसेन्सी की 25% से 10% तक छोड़ बैंक ग्राहकी/FDI द्वारा दिये जाने का प्राविष्ठान है। 2016-17 में 5-10 देवा प्रदाताओं के चयन के उपरान्त, द्वारा L-1 30-50 लाख आका है तो 2 ब्लूनिक्स 60-1,80,000 शेषीत 2% व 30 एकड़हम 9 हेक्टेएर अधीक्षत 10% की बैंक भारती/FDI की लागत कर सकता है।

इस के बाद ही निवृत्त वर्तमान की जाती है-

क्रमांक	प्रयोग का वर्णन (विवरण)	लिमेटेड मूल्य (रुपये में)	बैंक गारंटी/पर
1-	1 करोड़ से ज्यादा मूल्य की लिपिदा	2 प्रतिशत	
2-	1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच मूल्य की लिपिदा	5 प्रतिशत	
3-	3 करोड़ से अधिक मूल्य की लिपिदा	10 प्रतिशत	

- ३० सेवा इवाना वा टर्मओवर लिंगियों की लागत का बद्धनल ३० % या उससे अधिक होना चाहिये। यहारण- यह डिफ. पर जन्मगांवीं गूल्म से १ बरंट है और केत्र लिंगांग ३० % टर्मओवर यांत्रे छिल्टर/मान्यता वा द्योग करता है, जो कोई भी सेवा प्रदाता जिक्षक लिंग ३० टर्मओवर यांत्रे छिल्टर/मान्यता वा द्योग करता है, जो कोई भी सेवा प्रदाता जिक्षक लिंग ३० % बद्धनल ३० लाख रु. टर्मओवर रहा था, वह डिफ. पर रुकावा है।

- 4- भेंवा प्रदूष के पास विहर 3 वर्षों में Govt/PSU/Govt.Ltd कंपनी और हमारी कंपनी द्वारा गोपनीयता अनुमति दी जाएगी।

दूर क्याहें अश्व 40 लाख नूर्मय का जीव क्रांति दें पर्याप्त हो तो ही वह सेवा प्रणाली समान्वयी हिस्से हेतु अंतर्गत प्रक्रिया कर सकत है।

५- सेवा प्रदाना द्वारा न्यूनतम ०.३१% सर्विस शार्ट का ग्राहितावाल है। सर्वेक्षित विभाग न्यूनतम बैलनों नियन्त्रण कार्यक्रम संपर्क से विर्णव होता है, कि तेवर्ती की युग्मवत्तत के इष्टिगत, रोक एवं छाता थोड़ा किया जाता है। यहां निर्णीति विकास जाते हैं। सर्विस चार्ट, शोट पर आधार लट्टीती, जीउएसएटी कठीती, डेव तेवा शुल्क, बैल एवं शोबास इत्यादि (रादि प्राप्तिकाल हो) के द्वारा योग से किसी भी दशा में न्यून नहीं होता।

६- किसी दृष्टि द्वारा किसी गुणवत्ता पूरी रौप्य के लिये कर्त्तव्यों को विभाग भाजकेन देव देगा। हराक विभिन्न सर्वेक्षित विभाग, विशिष्ट न्यूनतम विभाग नियमों के कानूनपूर्व रहे अम टिक्काग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार करेगा, जो कि दृष्टिगत ही कर्त्तव्यों के प्राप्त हो रहे हैं न्यूनतम से कम अनुसार नहीं होगा। अम दृष्टि नियमावली, समाहित, राजविषय, मानवव्यवस्था इत्यादि उच्चकालीन जब कर्म के घट्टे जैसे जियर्जों नाम अनुपालज्जे करने की जिम्मेदारी केवल विभाग की होगी।

७- सेवा प्रदाना द्वारा EIA, FIA & GIA आदि की कार्यों Service Level Agreement (SLA) के अनुसार की जायेगी, सेवा विभाग द्वारा इसका अनुपालन तुलिष्ठित कराया जाएगा।

८- यदि किसी भेत्र द्वारा किसी विशेष दर्ते वीं अवश्यकता अनुभव यी आती है (जैसा कि लिंगारित सीना दी भिन्न, न्यूनतम विठ राशि/व्यूहतग टंजन्जोवर अश्वा कार्तियाँ ली रखया जाएंग पर उपलब्ध नहीं पायर के अनुसार अन्य शर्तें) हो जब भी भेत्र देव कर हेतु विशेष दर्ते वीं को सार्विज्ञता किये जाएं दी गी व्यवस्था डाल्डल है, जिसे विभागाध्यक्ष की लेखित मनुष्यान्ति के प्रशास्त Request Module पर आवाह किया। अंग राजता है। शर्त यह होती है न्यूनतम अहतालों में लोड रुक नहीं होगी।

९- विशेष विवेद खोलने वीं तिर कम से यह ३ फैली के न्यूनतम तकनीकी रोकथान एवं बरना आवश्यक होता। विशेष विवेद खोलने के अश्रवण यदि एवं से प्राप्ति क्षेव प्रदाना L-1 आते हैं, तो फिरन्त वीं व्यवस्था रत १-१ सेवेव्याज दूर का उपयोग अधिवार्थ रूप से करने हुए लिस्ट द्वारा चरणित L-1 कर्म वीं क्रांति जितन किया जायेगा। यदि एक बात जिवित संस्कृत के उपरन्त दी गूरुरी बार दिखिया खोलते अभ्य तोन रक्ते से बात फर्ज तकनीकी दोषता याह लगती है जो विशेष विवेद खोलने जाएं के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा विर्णव ले लिया जायेगा।

१०- जेव एवं भुगतान के लिए अधिसङ्ग व्यवस्था(देव पूर्व एवं उद्देश्य) प्राप्तिरी अजर्स के लाजिज ले उपलब्ध है। इत्या विभाग द्वारा लेभ पूर्व रक्त एवं बाध्यम से भुगतान की अलिया एवं गाड़ जैं तुलिष्ठित ली जाएगी।

५- डोन पोर्टर से सेवा कर्य करने की प्रक्रिया पूर्ण करने में कम से कम 15 दिन का रुक्कड़ा तारीख है। सम्बन्धित विभाग सेवा की अवश्यकतानासार इह उत्तिष्ठित करेंगे जिस वर्गमान से चल रहे हैं अनुरूप समाज होलो के लिए ऐसे एक भाग पूर्ण ही गैरन्सीर सेवा विभाग की जेन पोर्टर पर प्रक्रिया जारी कर दें। ताकि शारकोश करने में व्यवधान उत्पन्न न हो। सेवा कर्य करने वाले व्यक्तियों को पूर्व में शास्त्रार्थी संघा-11/2017/523/16-2-2017-97(स०८०) /2016 द्विनोक्ति दिनांक 23.08.2017 के वर्त्तयम रे ४५८ किया जा चुका है जिस रुक्के प्राप्त आपनी आवश्यकतामें को जोड़, सम्बद्ध, जननद अधिक द्वितीय अथवा चर्चित रूप के आधार पर तुलनाएँ में नहीं लिखा जायेगा। अधिकार्य यह है कि केवल विभाग की जिन व्यक्तियों की जावरणात्मा होने वालको ऐसा पोर्टर के द्वायित्वे ते उन की लिहाई जाएगी, जिससे सुइक एवं सात्रम रोबा प्रदाता का दबाव रोके जायें।

7- जिभाग द्वारा प्रचलित अनुबंध (contract) से रेतु के होने पर दोष प्रदाता पर उक्त जारीपाणी हेतु केता जिभाग, जोग पैट्रॉन के Boyer Logistic में उपलब्ध Incident management ने दोष उक्त प्रचलित अनुबंध (Contract) के द्वितीय कार्यवाकी रेतु के लिए घोषणा करेगा। यह योद्धा पर संघ प्रदाता पर Incident management Policy के अनुसार बनायेगी ती जाप्ती।

पर तक प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा यह उत्तम रूप से बढ़ावा देता है। यह रोबा प्रदाता के द्वारा ही है। अदि किसी लॉन्ड्रैक्टर के प्रबलित रूप से हुए क्षम्य किसी प्रबलित में रोबा अप्राप्त के विरुद्ध डिलिक्टिंग की अधियासी जमाने में जारी जाती है। तो इस राज्य के आकार पर क्षम्य क्रेता का अपने स्थानिक से जापन कानून कर्म दर्शि रखने या समाप्त करने का विर्य ले जाता है। परन्तु उन्हें भास्तिक कन्फ्रेक्ट स्टेशन अभी नहीं होंगे।

9- जेन पांटल रो उत्तम एवं संग्रामों यो लघु हेतु, सूक्ष्म, स्थपु एवं मध्यम उत्तम अद्युत्तम-१ के बच संख्या-७/2020/151/18-२-2020 ६३(स०३०)२०१२ दिनांक १५ मार्च, २०२० के द्वारा जारी कर्य लोकि-२०२० के प्रस्ताव-८ के अनुस्तुत्य प्रस्तावक रूपये के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपलब्ध अद्युत्तम लिंगेश हानि की तिथि से अगले अधिक प्रतिवारेत् कुल वार्षिक रेवापूर्ति या अनुपार्वत २५ प्रतिशत कृष्ण उत्तर प्रदेश ई विधायिक दलह. एवं लघु सेवा प्रदाताओं से अनुर्तित करने के उत्तरव ई विधायिक रेवापूर्ति करें। प्रदेश की सूक्ष्म एवं अगु सेवाप्रदाताओं हेतु, आरक्षित इत २५ प्रतिशत चं रो ३ प्रतिशत व्यहिल तेला प्रदाताओं से १ प्रतिशत अनुरूपित जाति, अनुसूचित जमजाति एवं सेवा प्रदाता से एवं ५ प्रतिशत हृष्ट श्रीन प्रोन्टोरसेन्ट को अनुसार पर्यावरणीय अनुरूपह सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्राह्म/अनुर्तित हेतु विधायिक रेवापूर्ति किया जायेगा। विधायिक ज्ञान एवं विधायिक विधायिक रेवापूर्ति के अनुरूप एवं अनुरूपह सेवा प्रदाताओं के लघु एवं सूक्ष्म एवं अनुरूपह सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्राह्म/अनुर्तित हेतु विधायिक रेवापूर्ति के प्रस्ताव-४ के अनुरूप यदि टैक्स दौ रल-१ आफर तेला प्राइवेटिव्य के विधायिक रेतु उक्त नीति के प्रस्ताव-४ के अनुरूप यदि टैक्स दौ रल-१ आफर तेला कार्ति पर्वत सूक्ष्म एवं लघु उत्तम से डित है (अथाव भूत्यिन या बृहत् उपग्रह /सेवा प्रदाता है) और किसी सूक्ष्म एवं लघु उत्तम के द्वारा एक आफर के मूल्य के १५ प्रतिशत द्वारा होना तक अप्रिय उत्तम उत्तम विद्या गति है तो ऐसी दशा ने राष्ट्र प्रदेश की एम०८८एम०८८ लक्ष्मी रुप से १०८ हि

तो उन राज्य एवं लघु उच्चन (एक से अधिक ऐसे उद्योगों को दशा में 15 प्रतिशत के बीच में स्थित सभी सूक्ष्म एवं नये उद्योगों) को यह अधिकार देना कि वे अपने मूल्य वो इन-1 स्तर पर लाकर कुल जिवित दूर्लभ वो 25 ग्राहित तक आपूर्ति ले रहे राखते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न या उपर्युक्त द्वारा उन्होंने दी जानेगी तथा आपूर्ति वो जूनिकोटा की अधिकृत एक रो अधिक राहम एवं लघु उद्योगों द्वारा दशा में उनहें भी जाने वाली अग्रिम को लाकर दूरा निविदित मूल्य के आनुवानिक रूप है यादा आयेगा। इस संबंध में उक्सल एवं लघु उच्चन ग्राम नीति, 2020 को व्यवस्था एवं शेष दृष्टा आवश्यकता नाश रहेगी।

10- इस राज्यनाडेश के निर्णय द्वारा के विवरण लेकर एकल/इनियिया दो ग्राम्यम से यूर्ज में विभागित हुई जिविकारों, जिन्हें क्रसादेश जरूर लिया जा चुका है, वह नवोन्नीकरण/दिस्त्राईकरण नहीं किया जायेगा। इस राज्यनाडेश के क्रम में तथा अधिकारीक विभाग के शासनाडेश भवन-5/2020/20/1/91-क-2/2020 दिनांक 25 जून, 2020 में जिर्यारित सम्बाधित पूर्ण होने पर रहेगी जिविकारी फिरस्त गान्जे हुए। वह जिविकारी जोम से की आई है। उक्त के अविरक्ता कार्यक्रम दिक्षाग्राम के जंडाईगत शासनाडेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक 16.12.2019 व नक्त विद्युत के शासनाडेश संख्या-717/महत्वात्-5-2020-6(26)/2020 दिनांक 18.8.2020 में वर्णित अन्य शहौ/प्राचीयान उद्घाटन नहीं रहेगे।

इस संबंध में यह कहा जा निवेद्य हुआ है कि कृष्णया उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन गुजरातित वर्तते हुए अग्रहर कार्यालयी छारने का कठोर कर्त्ता है। उच्चात् राज्यनाडेश आठव्यापारिंग के संबंध में जोनल रिट याचिका संख्या-7937(एच.वी.)/2020 एवं रिट याचिका संख्या-31208/2009(एच.वी.) में अपर एवं एता टेक्नोलॉजीशन बोर्ड अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं अपर भौति उच्च व्यवसायात्मक, राजनक प्राप्त पारित उल्लित जिर्याय के अधीन इक्ष्यावी रहेंगे।



(बन्नीत राजगाल)

अपर गुरुङ्य सचिव।

गंधगा एवं निर्देश तंत्र

प्रशीलिति लिप्तलिपिता को सूचनार्थ एवं आपर्युक्त कार्यालयों हेतु योग्यता:

- (1) प्रदूष संचिक, श्री गरुदभाल, उत्तर प्रदेश।
- (2) प्रदूष संचिक/संचिय, नारू मुख्यमांडिं दी।
- (3) निजी सचिव, भा० गंधगा को, वा० नंदीगढ़ के त्रिपाठी।
- (4) निजी सचिव, गुरुङ्य सचिव एवं मुख्य राज्यव व्यवेद्य के सूचनार्थ।

- (5) एन्जेर संस्था, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
- (6) शाचिद, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (7) सपिय, लोक सेवा आगोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (8) भूमिका, उत्तर प्रदेश अशीनस्व रोका चायन आई.वा, उत्तर प्रदेश।
- (9) निर्देशक, शोबाज़लाल टिणाळ, उत्तर प्रदेश।
- (10) निर्देशक, सुवामा, उत्तर प्रदेश।
- (11) देव उट्टिकारी/गैल लस्टर, नियुक्ति एवं कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (12) सचिवालय में भास्त्रा अनुदान।

ज्ञाना से,
 (संघीय कुलार)
 विशेष संदेश।

४५

ਨਕਾਰ ਸਿੰਘ

३३

अपर मुह रात्रि.

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

३८

- समस्त अपर गुण्य संचय/प्रमुख संकेत/संचिव
अन्तर बदल राखन।
 - अदृश्य एवं निदेशक
उदाहरण १५२ दृश्य प्राप्ताकार ल०१० वास्तुपूर।
 - समस्त दृश्य राखायक,
हाथी बदल।
 - समस्त मानकाद्युक्ता/जिल्लधिकारी
उदाहरण १५३।

法句經 卷第廿二

प्रश्न 2 - उत्तर प्रदेश के भूजकौट विमानों एवं स्थानीय जलसारों में मैं पाया कृष्ण और गुलाबी रंग की लालू देखी। लालू की लालू के लिए अन्यतर नाम हैं? (उत्तर देखें)

३८५

उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों द्वारा उसके अधीनस्थ संस्थाओं ने यह सेवाओं के कारण से तिन भारतीय स्टूडेंट्स एवं डॉक्टरेंट जैसे लोगों को व्यवस्था हानि की जाने विषयक नियमों के द्वारा उपर्युक्त अनुसन्धान-2 के तात्परतावाची घटना-11/2017/323/18-2-2017-95(ए.व.)/2016 दिनांक 23.08.2017 वाले बुलाव फॉर्म प्रदान करने वाले अहवाल, यह सेवाके नायज्ञन से उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों द्वारा उपर्युक्त संस्थाओं ने तात्परी व्यवस्थों के लिए योग करने वाले विभिन्न अधिकारीय नियम द्वारा उपर्युक्त सेवाओं को जॉन-ए-ड्रॉप की विधि से व्यवस्था दी गयी है।

2- ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

- जैसे शेट्टल पर बही संख्या के नामांकनाता रैलीकूट है और यहै देश में विभेद संस्थाएं जड़कन हैं जैसे मैनपरम प्राप्ति कर रही है।
 - इस शेट्टल पर खेले गए खेलों की प्रोफाइल तथा द्रुत रिकॉर्ड का अध्ययन आई है। इन्हें विभिन्न रैलीकूट का अध्ययन करने के बाद इस परीक्षण करना होगा।
 - शेष प्रूफोब्स के स्वरूप के आपार पर लगातार रेटेंगे होती रहती है।
 - कैली गोदावरी ये शिक्षक जो कि गोदावरी गोदावरी रैलीकूट होती है, के आवास पर शिक्षकालीन के दृष्टव्य के बर्बाद ही होते हैं जिससे तीन बाहर से लेकर तीन साल तक होना प्राप्त की जाएगी किया जा सकता है। डिजिट सेवा प्रदत्तओं की तुलो नीति के हाथ पर रिगिल टाइम में जरीरों को सहाय होने वाली रही है।

5. देश भर में सरकार को प्रोफेशनल संस्कृत नाइट्सड्स विल व बूथ्यूस में प्रयोग के गरीब हैं जोन्सन प्रोफेशनल लकड़ी एवं पातरी का अधिक अधिक होता है। सेता एवं आर्टिस्ट डेंटु देश में छिपे लकड़े के लिए अस्थायिक अवधियां दी रखी जाती हैं जिनमें दूसरी वर्ष तक अधिक के लिए प्रोफेशनल वर्क हॉटेलिंग व्यवस्था है।

५. अस्ट्रेलिया के लेन्टु संघर्ष से बंद राष्ट्र थे: बैल गांधी निश्चिन्त कर्त्तव्याकांक्षा (३०००००००, ३०००००००००) ने यह एक विश्व दृष्टि से बहुत ही बड़ा विकास आयोग में उन्नीसवें श्रेणी में शामिल किया है।

7. इन अली सेव रातों के अनुभावन के अधार पर सेवा प्रणाली और नियंत्रित सम्बन्ध एवं ऐक्सिक, ट्रैम-ड्रैक्स विद्युत विभाग द्वारा दिया जाता है।

प्रत्यन हो जाएगी। अब प्रस्तुत 2 से छिन्ह-11 के उल्लेख करके जैसे पर एक नई हार्द भी तुड़ाने का प्रयास किया जाएगा जिसे धर्मान है कार्य वार रहे आषट्कार्ष कल्पनों को दी थीं प्रथम पांच हार्द चक्रानि रैथा ब्रह्मतां द्वारा रखा जायेगा। लेवल ल्यौग जैसी ही लेपणोंने पौर्ण ऐंटर ५८८-५९१ के समुदाय लिए जायें।

4- इसके अधिकारित में न रहें भी विवर ली इसी में समिन्द्रित कल्पना जाएंगी।

1) कर्मिन् लोकोंसे सुनातान हिंने जाने की स्थिति ने विभाग द्वारा आषट्कार्षिंग ५८८की की चरणक्षम व्यवस्थी गई। इनकी पर १५ प्रतिशत व्याज ट पैस्ट्रली भी लगायी जाय।

2) रोबा प्रदाया रखनेवाले के घर इन्हें अनुभव अर्थात् भी निश्चिप्त छर दो जाएं ताके लक्षण सुनाया द्वारा ही नेवा ब्रह्मता की जांकन।

3) सेवायोगन विभाग द्वारा औनां जिये १३ पैर्टेज रे कैर्डीडिसा लो दरेग्या। इन अथवा अनुभवयोगन के अनुभव विभाग ने देव तेवा प्रदाया विभागों द्वारा व्यापियों को गांग व्यवस्था के लिए विवर दी पैसें आवेदनकर्त्ताओं को लौर ली गयी थी तो ये व्यवेक व्यापियों को गांग पैसें दिए गए। अनेक लगातार अपनी अनुभव देव अवेदनकर्त्ताओं ने ने विभाग, एवं पारिवार्यों व्यवस्था अवकाशकर्त्ताओं को साप्ताना द्वारा जांचाया का मूल्यांकन करते हुए किया जायेगा, जिसमें यंगों विभाग की भागीदारीयों को विवर ली जायेगी।

5- इस सम्बन्ध में गुरुजी द्वारा कहने वाली निधें हुआ है कि एपर्सोनल प्रलक्षण-२ के सामिल वित विद्युओं के शामिल पर जैसे पैर्टेज की उपायोगिता का देखते हुए जीवनकारी व्यवस्था है जिसे विभाग द्वारा अनुभव सुनायोंको गे फैल देव योग्यता है ही अन्याय अनुभवोंके लिए जाय। देखते हुए अनेकविजन प्रत्यक्ष ३ से ८०८०-९०९० विवेत समर्थकों के अनुभव नियोग्यता के अनुभव में उत्पादित हुए हुए प्रत्यक्ष ५ में वी गई अनुभव के अनुभव देव पैर्टेज में तुड़वाने को कार्यवाही धूम, लघु एवं मध्य विभागोंके अनुभवोंके द्वारा दुर्विविचित भवायें देखा हुए जाएं ताकि अनुभव २००५-२०१७ के काम ने ४०८ अनुभवोंको देखा जाए तो किये। इस अद्वेष ने जारी होने की तीव्रते से मैन्याय आवाजोंनी उत्तु उन्नत-संवय पर गांग व्यवस्था के लियाने विभाग द्वारा नानेत अंतिमी एवं प्रारूप/उपग्रहण/स्टैंडेलोन/थ्रॉ-एरस-उर्फी इवायदि विवर देव विभाग ने व्यवस्था अवलोकित की तो सम्बन्धित गांग आदेत द्वारा देखा जायेगा।

6- नेवायोजना विभाग के पैर्टेज प्रोजेक्टेलन २) वरेलेट। कल ने रखने अधिक पैर्टेज ५५ आवेदन करनेवालों ने विभाग विभाग की व्यवस्था गई है, लेपणोंने लिया है एवं उन्होंने पैर्टेज को लैनेल संभवित करना होगा। लैनेलेट के पैर्टेज ने ५५ वरलेट लैनेल देवा प्रदी। जो अद्वेषक ८०८०-९०९० एवं इन्विटेल ८०८०-९०९० विभाग द्वारा नियन्त्रित अवाय ने विभागों की व्यवस्था ली जायेगी (विभाग द्वारा इनमें से एक प्रकार दुनिया भवते हैं)।

7- अनुभव गुरुजी ने विभाग द्वारा लेगोलेन ४०८०-९०९० उपर्योग व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में इस शासनांक से नियन्त्रित विभागोंने विभाग ४०८०-९०९० विभाग ४०८०-९०९० देवा से संगत कार्यवाही दुर्विविचित रखाया जायेगी।

8- विभागीय व्यवस्था ने तुड़े देवा नी लैनो है कि वर्तनां में प्रवाहित आषट्कार्षिंग के अनुभव (Constituents) इस विभागीय व्यवस्था के लागू होने तो जल्दी इनका नहीं होने विकल व्यवस्था अनुभव की दिवाना अद्वितीय अवाय ५६ पाठ, जो भी लग भी गल कियाजायेगा रहें।

अब अनुरोध है कि वृ०४४ शासन द्वारा यिहे एवं स्पष्टेव विभाग जो अनुशिष्ट सुविविचित करें हुए अपने विभागीय व्यवस्था का कठोर करें।

संदीप,

तुड़ुल देवा

अपर गुप्त नं० ५।

१- यह ८०८०-९०९० देवलेटकी जाती किया जाय है अंत देवा पर इस्तमाल की जाप्रवाला नहीं है।

२- यह देवनामें जी इतिहास देव साइट <http://www.ashvayuktanamdev.com/paper.pdf> से द्विविविचित की जा सकती है।

कानून-७/२०१३/२०३१/८/१०-४८-२/२०१६, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड या ग्रामीणपरिवारोंके अनुनासनके एवं आवश्यक काश्यानी हेतु प्रेषित:-

- 1) श्रुति सर्पि, ई लखनऊ उत्तर प्रदेश,
- 2) श्रुति चारित / सचिव, गा. नुस्खानी पौरी।
- 3) निजी संघट, मा. निराज को, मा. निराज के नुस्खानी।
- 4) निजी संघट, पुष्टि शब्दक लो. पुष्टि दधिये महेश्वर के नुस्खानी।
- 5) प्रमुख राजेत् विधान पालका / विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) राजेत्, राजस्व विधान, उत्तर प्रदेश।
- 7) अधिक, भौति नेगा आ.पा.ए. उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक।
- 8) राजेत् उत्तर प्रदेश अस्थिरत्व नेगा द्वयन आग्रा अजनक।
- 9) निवेदक, नेगार्गणन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 10) निवेदक, नुस्खा उत्तर प्रदेश।
- 11) वेत अधिकारी / वेत पालक, निमुक्त ५५ कार्मिक लिना, उत्तर प्रदेश।
- 12) अंगुक निरेक्षक दायित्व पुनर्जल्द, देहली, लखनऊ-लो. २०० प्रविष्ट, पुनर्जल्द कार्यकर कार्यालय उत्तर प्रदेश २ को चान्दड़ कराई हैं।
- 13) संग्रहालय के सन्तान अनुभाव।
- 14) याद घास।

आज्ञा दे,
अधिकारी गोहन (प्रांगणी
निवेदक विभाग),

ੴ ਪ੍ਰਾਤਿ

राह ले अद्वितीय

ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

3050 2015

三

- १- समर्पित अपवाहन क्रिया/प्रभुत्व की संविदास्थिति, उत्तर प्रदेश शासन।
 - २- सनस्त मण्डलायुक्तों जिलायिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - ३- सनस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
 - ४- प्रदेश के सनस्त सार्वजनिक उपकरणों के अपवाहन/प्रबलन्ध निदेशाज, लिकारी, परिवहन एवं स्वागतशासी विभागों के अधृत कार्यालयी संस्थानों

के दौरान एवं इसका क्या असर?

अखण्ड: दिवांक-12 इंड २०१७

ਹਿੰਦੁ: ਇਸ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਗੀ ਨੂੰ ਹੋ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਦੇਣੇ-ਲੇਨੇ ਵਾਲੀ ਭਾਗ ਕਿਵਾ ਜਾਣ।

ગાંધીજીની રાહોદયા

लेखन के इन वर्णनोंमें पत्ताने का उचित चिन्हित विलेन्ज ग्राइज भी है। परियोजनाओं में इ-प्रोफलोरमेट्टा/इ-टेक्नोरिंग प्रणाली एक स्वत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश ने पायलट परियोजना के ८५% में लोक जिम्मेदारी किंवार्दि विभाग, विकास रथ स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग, उद्योग निवासालय, विश्व छाँक प्रौद्योगिकी विभाग, सभी परियोजनाओं में पायलट परियोजना के रूप में हैं-टेक्नोरिंग प्रणाली लगू की गई थी। कठिनता अनुभवित गयी से भी है-टेक्नोरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

२- इस सम्बन्ध में कुछ लक्जन का निर्देश हुआ है कि पारदर्शी और स्वयं एकान्त तथा शासकीय विद्वानों में जीवनीय कार्यों, रोपामों/जॉड-बॉड एवं सत्तायों के क्रम में विस्तृप्त सुनिश्चित कराये जाने हैं। उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागोंसे वैज्ञानिक उपलब्धि/विद्वान आधिकारणों/उच्च विभागों/शासकीय विभागों से लक्जन का निर्देश इत्यादि में एन.झड़ेरी. के फैशनवर्सीफट/इंटेप्टरिंग फैटकार्म <http://enr.jhadrirai.p.rbi.in> अप्योग करते हुए यारों जैविक वर्गों, सेवाओं/ जॉड-बॉड एवं सत्तायों को क्रमात् अनुरोध (Running contract) एवं दर अनुरोध (Rate contract) हेतु फैशनवर्सीफट/इंटेप्टरिंग प्रणाली हाँ विज्ञाप्त का निर्णय दिया गया है।

३ प्रदेश ने ई-प्रोक्योरसेप्ट-ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने हेतु बूथी इलेक्ट्रॉनिक वारपोरेशन इमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेंसी हांगी। तथा ई-टेंडरिंग करने वाले विभाग उपकारकी इत्यादि को एन-डी-ई.सी., लकड़ाऊ तथा यूपीएलसी द्वारा आवश्यकतानुसार डैम्प्होलिंग सहायता प्रदान की जायेगी। ई-टेंडरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हॉटेलर उनकरण इत्यादि ५८ अंडे.सी. को बूथी इलेक्ट्रॉनिक वारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, जिसे अधिक्षय में ई-

२- रुह शीर्षके देखा हुआ + त्रिप्रामेष्ट्यावे जारी किए गए हैं, जल्द इस पर उत्तराधार से आवश्यकता रहती है।

2- यह शासकीय की प्रतिविधि का नया सदृश <https://docs.google.com/presentation/d/1JyfjwvWzXmPQHgkLcOOGdIwvDwMjwM> से सन्तुष्टि की जा सकती है।

आदेशकान्तुमुसाद आन्या हाईकोर्ट उपकरण सूची इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

4- ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई-टेण्डरिंग प्रणाली ने नियमों एवं प्रक्रियाओं में ऊई परिवर्तन जड़ी किया जा रहा है, अतिरुप्त अंतमान नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली रुप उपयोग करते हुए टेण्डरिंग को बगावतही बी जावेगी। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक नियमों ने ऊई-टेण्डरिंग में यथावत् जागृ रहेंगे एवं इनमें विभिन्न ऐप्र ट्रॉजेक्टिव्स के खान पर वाच इलेक्ट्रॉनिक नामनम का प्रयोग करते हुए नियमित प्रक्रिया की जाएगी।

- इन नियमों कार्यों सेवाओं जॉब-लिंक एवं सामग्री के क्रम चालू अनुबंध (Running contraint) एवं दूर अनुबंध (Remote constraint) हेतु नियमित नामिया मैट्रिक्स द्वाये से सम्पर्कित की जाती है, जल नियमितों को ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई-टेण्डरिंग प्रणाली के साथसारी फरवर्या जाना प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक होगा।
- ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत नियमित कार्यही वय- ई-रजिस्ट्रेशन, ई-लोडिंग, टेन्डर ब्रिंगिंग, टेन्डर प्रबन्धन, एप्टिक वरनेशन, स्कूलिंग आदि समस्त व्यापक व्यवस्थाएँ सम्पूर्ण संचयम से विद्ये जायेगी।
- सर्वोपरिक प्रतिलिपिशास्त्र है आपत्ति करते के लिए उल्लेखनीय ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई प्लेटफॉर्म का प्रयोग वर्तने हो स्थान पर सभी विभागों द्वाये उत्तराईकी द्वाया विकसित ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई प्लेटफॉर्म (<http://etender.up.nic.in>) पर ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई किया जाएगा।
- ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई के विद्युत एवं उड़ा की गणनीयता, हुराहा तथा अनुरक्षण वा बायेट एन.डी.सी. का होगा।
- टेन्डर करने वाले विभागों अंतिकारियों टेन्डर हस्तिति के सदस्यों, नियमितदाताओं (विदर्ही), जापूर्तिकर्ताओं (दै-इर्सी), कानौकर्सी, को ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वाया ई-शुल्क नदान विया जायेगा। यूरोपीलसी द्वाया डिवर्टी कन्फ्रैटर्स/दैश्वर्ती को उनके कम्पन्यों लैपटॉप पर ई-टेन्डर सम्बिलित हॉफ्टवेचर अपलोड करन्कर ई-टेन्डर हेतु तैयार किया जाना, टेन्डर बातनलैड, टेन्डर स्कूलिंग, ताक ई-टेन्डर स्कूलिंग द्वाया ई-टेन्डर प्रणाली वर नहीं उनका इत्याहि के प्रयोग वा ई-शुल्क प्रशिक्षण प्रदान विया जाएगा। साथ ही लिंकेगीय जूथिकारिया को ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया हेतु लक्ष्यमन्तियत सर्वोत्तमवेचय, ई-टेन्डर का विकास, ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई विभाग औपरोड़ी विकासित, दैश्वर्ती तैयार किया जाना, टेन्डर अपलोडिंग, ई-टेन्डर औपरियोग, टेन्डर ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई का विकास एवं इत्याहि का विकास जाएगा।
- ई-प्रोजेक्टरेसेप्टाई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए टेन्डर करने वाले विभाग द्वाया सॉफ्टवेचर वस्त्रमालाजेशन शुल्क लिया शुल्क एवं वैष्णवीकान्दैचर द्वाया देय भजोकरण शुल्क लिया जाना देय होगा।
- प्रत्येक दिनार दृढ़ा वेचत एक वार रुपे 5000.00 +अनुमत्य सर्विस ईचल, वास्टमालाजेशन शुल्क के रुप में जोड़ल संस्था, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूरी-एलसी) को देय होगा।

1- वह शास्त्रादेश इलेक्ट्रॉनिक्सी जाते किया गया है, अतः इन पर इस्तात्त्व के अनुभवका गहरा है।

2- एक शास्त्रादेश के प्रतिक्रियाएँ ऐप्र सेफ्टी <http://etender.up.nic.in> से हासांगा को उपलब्ध है।

- निवेदा शुल्क के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक ट्रैकर हेतु ट्रैफर भद्रेर गूँग्हा का 0.01 प्रतिशत - न्यूलतम रु 260.00 तथा अटैक्टल रु 5000.00 (सर्विंग टैक्स सहित यूपी इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) द्वारा देय होगा।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत डिवर्सिफॉन्ट्रॉक्स/प्रैमिट लूक्स प्रथम बार रु 1000.00 (सर्विंग टैक्स राइट) शुल्क, ४०% इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को ट्रैफर प्रथमतः उपलब्ध डिजिटल एजेंट्स के साथ काम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके आधार पर वे दो वर्ष तक छिला किंवा अलिरिका शुल्क के श्रेणीवर अनुग्रहित के आधार पर सभी ट्रैफर में भग्न ले सकते, रजिस्ट्रेशन के बाबीचीकरण हेतु शुल्क याच रु 3000.00 (हेच कर आंतरिक्स) प्रति दो वर्ष हेतु भावन्व होगा।
- इं-प्रोक्योरमेण्टड/ट्रैफरिंग प्रणाली में इंटीग्रेटेड वोयर्स लूथा निक्टीय अधिकारियों एवं ट्रैफर रायिति के सदस्यों को रु 1709.00 (समस्त वर्त्ती सहित) त्रिती व्यक्तियों को दर से शुल्क जमाकर डिजिटल सिम्बेचर प्राप्त करने होंगे। डिजिटल हिन्नेचर दो वर्ष के हिए वैध होगा। इं-प्रोक्योरमेण्टड/ट्रैफरिंग द्वारा अवश्यक डिजिटल फिन्नेचर विभागीय अधिकारियों/डिविडाताओं द्वारा कन्ट्रोलर ऑफ टार्टफ़िंग अधिकारीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत एवं आई.सी. नई दिल्ली, दीर्घ १८८-नुम्बर्ड, लेफ-सिम्प्ल-चॉलाई, आई.डी.आर.बी.टी., (एन) लोड सॉल्यूशन्स इं-युद्धा, सी-३६५, विश्वीकौन्स अवैडेन्टेडी सर्विसेज प्रा.सि., एल.एम.डी.एल, टेक्नोलोजी, नॉ.एन.एफ.सी. आमे स्टिलाईंग अधिकारीज अधिकारीज उन्नते रजिस्ट्रेशन अधिकारीज में से किंतु एक रो निर्धारित शुल्क जमा करके भ्रान्त विवेद जारी करते हैं।

7. उक्त व्याधी हेतु यूपी इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को शास्त्रीय रूप से अंतिरिक्ष विद्युत वित्तीय राहबद्धता देय नहीं होगी। यूपी इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नात्र उन्नत व्याधी के सामेक्ष पैलीकरण शुल्क कम्प्यूटरशेन शुल्क एवं निवेदा शुल्क उपत सुविधाओं के एवज गैं उन्नतव्य होगा।

8. ब्रद्योग विभाग द्वारा इं-प्रोक्योरमेण्टड/ट्रैफरिंग विवेद देने हेतु विभाग में आवश्यक कन्ट्रूटर हाईवेयर अपारण की स्थापना न्यूलतम 512 बेकीबीएम ब्रॉड बैंड लैनेकेन तथा बोल्डनीय रणटीचरस हॉटवेयर लोड करना होगा। सम्बन्धित विक्रीयों, उपकरणों इत्यादि द्वारा इं-प्रोक्योरमेण्टड/ट्रैफरिंग प्रणाली द्वारा करने हेतु अवश्यक हाईवेयर, व्रशिप्रण, सॉफ्टवेयर कम्प्यूटरशेन, डिजिटल सिम्बेचर इल्स.दि अवश्यक व्यवस्थाओं दीन नहीं में पूर्ण करा जी जायें। निवेदा शुल्क (Tender fees) के भुगतान तथा थोरोहर राशि (Earnest Money) के भुगतान एवं व्याप्ती की प्रक्रिया गौ शैतिक रूप (Physical Form) में दर करके औनलाई व्यवस्था हो सुनिश्चित हो जाये।

9. सञ्चान्ति विभाग के भारत-नुख्य रन्निक्ष/प्रकुख संचिकारशनिं स्तर पर नियमित रूप से दैनिक अप्रेनिं करके इं-प्रोक्योरमेण्टड/ट्रैफरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन की विश्वासित समीक्षा रुनिश्चित हो जाये।

1. यह कार्यान्वयन इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन द्वारा नियम गया है, कि इत वर इन्हाकर भी जारीकरता रही है।

2. इस शास्त्रीय भी भ्रान्त विभाग ने इस लैनेकेन विभाग के गठनातिरिक्त रूप से गठनातिरिक्त कर जा रखती है।

10- यह दिलासा दूर से ई-स्टेचर्योरमेप्ट/ई-टेपडरेंग प्रनाली लाएँ करने ने काठिराई अनुभव के जाती हैं तो सम्मानित विभाग दूर से इस प्रणाली को जानकर उन्होंने ६८८ बाह्य कृति के लिए आठवीं पवर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नामधर्म से उच्चादेश प्राप्त करवा दिया है।

11- जिन 'टेलार्डी/सार्वजनिक उपकरणों/विकायों/स्तरायतशारी' जिकर्याँ तथा अंतर्यामी धूमात्मक विशेषज्ञता का विकायों का कस्तिक्तपात्रा/संबंधित प्राविधिकता को संषिद्धात लगायिता जैसे पूर्व ने टेपडर संबंधित निर्देश/शासनादेश विरेत लिये व्याप्त हैं, उन सभी पर उस सौन हक, इस ई-टेपडर संबंधित शासनादेश का लोडी दस्ताव व्याप्त हो गया।

12- पदेश में एक जाख से कम आवादी गाहे लगायी गिरफ्त जिकर्याँ तथा समस्त गाहे विवरणों में ई-टेपडरिया संबंधी आवश्यक उच्चस्थापनाओं/आवादरणों के सुविधाएं गान्व संसाधन, लकड़ीकी जान इत्यादि के विवरणों होते के उपरान्त हों। ई-टेपडर संबंधी शासनादेश को प्रधानों जल्द ही दूर प्रवाल्यालोध विभाग के स्वार से लक्ष्यतार निर्देश विरेत किये जायें।

इफत शासनादेश का काठाई से अनुग्रहण सुनिश्चित किया जाये।

अद्वीय,

श्रीहु लक्ष्मीनारायण

मुख्य सचिव

लंबक: ३/१०१७/१०६७/१८/५-२-२०१७ तदनामक

प्रतिलिपि: जिल्लाप्रिवेत व्यापक विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही लेने वेत्तिल-

- 1- कृषि उत्पादन अनुकूल, उत्तर राजेश।
- 2- अलस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुबत्ता, उत्तर प्रदेश।
- 3- बमुख ईविविवेत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- नियोशक उद्योग, लान्मुख, उत्तर प्रदेश।
- 5- निजी स्थिव, ना. उन नुख्यनेतो एवं विभागीय मंत्रों औ. आईटी एवं इन्फो विभाग, ३०५०।
- 6- निजी स्थिव, ना. राज्यांगी-जी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ३०५०।
- 7- निजी स्थिव, नुख्य ईविवेत, उत्तर प्रदेश।
- 8- निजी स्थिव, झाँग राज्यव ना. मुख्यमंत्री जी, ३०५०।
- 9- निजी स्थिव, उत्तर मुख्य राज्यव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निजी स्थिव, घिरेव संचिव, नाइटो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- राज्य स्थिवा विभाग अधिकारी, एन.आई.रॉड, उत्तर प्रदेश एकाक, लखनऊ।
- 12- राज्य समन्वयक, रोन्टर और ई-गवर्नर, शूपीडेस्को लखनऊ।
- 13- राज्य विदेशक, यूरोपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारबोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 14- महाराष्ट्राकार, लेखा परोड-प्रभास एवं दुर्दितीग कार्यालय, डलाडावद।
- 15- निदेशक राज्यकार्य नुद्विणानाथ लखनऊ।
- 16- शाह फाहला।

आज्ञा से

निजीव शरन

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश लैवेक्यूविभाग द्वारा दिया गया है, जो २ अप्रैल २०१८ दस्तावेज की १.वर्षतात्त्व नहीं है।

2- इह शासनादेश की प्रभावीता १ अप्रैल २०१८ (<http://www.mca.gov.in/mca21/norms/2018/180401.htm>) से नियमित ही ता रहती है।

प्रेषकः

चांदौब बुमार
भूर्जन संघिय
ग्रामीण शक्ति

देश मे,

- रामेश्वर कृष्ण नाथकोइमुदा समिक्षकमिति, उत्तर प्रदेश
 2 राजस्त विभागाधिकार, उत्तर प्रदेश
 3 रामेश्वर कृष्ण नाथकोइमुदा समिक्षकमिति, उत्तर प्रदेश
 4 प्रदेश के संस्थान सार्वजनिक उपकारों के अधिकारी/प्रबन्ध विद्वान्, लोकसभा, परिषद् एवं
 स्वायत्तशासी निकायों के सुदूर व्यापारी इन्डिया

आर्टिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुमति २

लागतम् २५-३-२४ अक्टूबर 2018

विवर्यः- उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षकमिति, ग्रामीण इन्डिया विभाग एवं संघीय

- ग्रामीणी और व्यापक प्रारम्भ व्यापारी निकायों में विभिन्न नारी, संवाजीयोंने इक एवं सागरी के बीच से पालेस्वामी सुनिश्चित कराए जाने हेतु कहीं इस इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने रामेश्वर कृष्ण '03/07/02-2017-423/ईपटी/0211' दिनांक 12-३-२०१७ द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शायकीय विभागों ने उत्तर प्रदेश विभाग नांदीकरणोंपर ग्रामीणोंस्वामी संघीयोंनिकायों का व्यापक एवं उत्तर प्रदेशी के इन्डियानीप्रिया व्यापारी का इनोव नमूने हुए जमी निकायों का व्यापक नारी एवं सागरी के क्रय चालू अनुमति दिया। एवं वह अनुमति हेतु इन्डिया विभाग नारी एवं सागरी विभागों ने नियमों और प्रक्रियाओं के कार्यक्रमों के अनुसार उत्तर प्रदेश विभाग नारी एवं सागरी एवं स्वायत्तशासी के अन्तर्गत ही केवल इन्डियानीप्रिया कार्यक्रम करते हुए देनारार्थ की कार्यक्रमों को बताती है।
2. यिनि इन्हाँ अनुमति, उत्तर प्रदेश के शिक्षकमिति संघरा-ए-1/86/ए-08-51/166 दिनांक 23 अक्टूबर 2009 के अनुमति रु. 1,00,000/- से अधिक दूर्घय के सम्मानान्वयनपैदे देहर आनंदित छात्रों कर्य किये जाते हैं और उत्तर प्रदेश सीमा से तापीक नीर सागरी की निविदायाँ इन्डिया विभाग नारी एवं सागरी विभाग द्वारा अनांत्रित की जाती हैं।

3. शारात नवाचर सम्यक विभागाधिकार इन्डियानीप्रिया विभाग नारी एवं सागरी विभागों के लिए उत्तरोत्तर विभाग सीमा रु 1,00,000/- को दृढ़कर रु 10,00,000/- किये जाने का नियम लिया गया है। रु 1,00,000/- से अधिक दूर्घय के सम्मानान्वयनपैदे देहर आनंदित छात्रों के क्रय चालू करुन्नाल्य एवं वह अनुमति हेतु इन्डिया विभाग नारी एवं सागरी विभाग द्वारा निर्वित शालनदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2009 के अन्तर्गत, गूँड़ वी दृष्टि शास्त्र राज्यों नामांकि रु 10,00 लाख रुपा जी इन्डियानीप्रिया विभाग द्वारा, ५५ लो के सालरास से अनुमति किया जाना अनिवार्य गया होता।

4. अतएव आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के शारातनवाचर संघरा-ए-1/86/ए-08-2-2017-423/हांसी/02017 दिनांक 12-३-२०१७ को उपरोक्त सीमा तक संधारित राज्या जाये।

अनंतपृष्ठ,

राजीव बुमार
सुदूर संघिय

1- इह शासन देश इंडिया विभाग आई विभाग नाम्य है, इतः इस द्वारा की लापरवाही नहीं है।

2- इल शासनदेश नी अभी विभाग देश सङ्गठ <http://www.sangathanpradarshak.gov.in> से तत्वावधि से जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक २५-१०-२०१८

आनंदीनिक विद्यालयिक बोर्ड गृहनार्थी एवं क्र। १४५ नार्थवाहनी तेतु प्रभाव-

- १- श्री उमाशत्र आचार्य, उत्तर प्रदेश
- २- अवलयपत्र एवं दैवदेवी विकास भास्कर उत्तर प्रदेश
- ३- लालूप संग्रह, निर्माण उत्तर प्रदेश
- ४- लिंगाराज इन्डिया, लालूप, उत्तर प्रदेश
- ५- लिंगे रामेश मा, उष त्रिवेत्ती एवं विभागीय संस्था जी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ३०००
- ६- लिंगे रामेश, गा. राजनगरी जी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ३०००
- ७- लिंगे रामेश, शुभेत्र उत्तर प्रदेश
- ८- लिंगे ज्ञानेश, शुभेत्र संविद् गा. नृसिंहार्थी जी, ३०००
- ९- लिंगे ज्ञानेश, आनंद नृसिंह, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश
- १०- लिंगे ज्ञानेश, विशेष संविद् गा. नृसिंह एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश
- ११- लिंगे ज्ञानेश, विशेष संविद् गा. नृसिंह एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश
- १२- लिंगे ज्ञानेश, संनद्र एवं इन्डिया
- १३- लिंगे ज्ञानेश, पूर्णिमा संविद् गा.
- १४- प्रबलय लिंगाराज, श्री इलेक्ट्रॉनिक्स नारदोरेश्वर लिंगोड़, उत्तर प्रदेश
- १५- लिंगे ज्ञानेश, तेवता पौड़ी - प्रथम एवं द्वितीय क्रयंश्वर, इलाजागढ़
- १६- लिंगेश्वर, राजवीथ मुद्रणालय, लखनऊ
- १७- ग्रंथ लालूप

अज्ञा रे,
(संविध संस्था)
उत्तर प्रदेश संघीय

१- यह शास्त्रादेश हस्तनामी कली लाठी खेला गया है, जहाँ छुस एवं हस्तनामी को शास्त्रादेश में है ॥

२- इस शास्त्रादेश की प्रसादेश्वर भी लालूप ग्रंथालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है ॥

प्रेषक

अनिल कुमार

पद्मव राजेव

उत्तर प्रदेश शासन।

संदेश के

- 1- समस्त भारत गुणवत्ता संधिय/प्रकृष्ट हृदय/राजिया,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आशुल एवं निदेश
उद्योग एवं उपल वैद्यत्वालून ३०५०), कानून।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश
- 4- समस्त मानवाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त शिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राज्या नमू एवं अध्यक्ष उच्च अनुभाग-१

तिथि: दिनांक: 28 अगस्त, 2017

लिखण- उत्तर प्रदेश में शासकीय विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ संस्थाओं में जाम्ही एवं रेगिस्टर्ड के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विफलित गवर्नरेट है। गोर्टटर्नलेस, जेम (GEM) की व्यवस्था लागू किये जाने के कारण है।

वर्णान्य-

मात्रा सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगी राज्यी एवं सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा अनुभाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GEM) विकारीत किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम (GEM) को वैश्वल पाइलेक प्रौद्योगिकी वैर्ह के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य विन्तीय लिया।-2017 द्वारा भारत सरकार के राज्यी विभागों हेतु वाच्यकानी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म गर अपूर्वविवरण¹ विकेताओं के लाभ विविध वस्तुओं की रक्षा विस्तृत शृंखला उपलब्ध है। पोर्टल के स्वयंग है शोक्लोय विवरण हेतु क्रय व्यवरथा को व्युपात्तापूर्ण, गारंटी² एवं जितव्ययों बनाया जाता संभव हुआ है।

2- सामग्री के क्रय के संरक्षण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वे राज्य, जमू एवं गढ़वाल अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-५/2015/253/18-८-2016-३(८३)/2010, दिनक ०१ अग्रील, २०१६ के साथ॑ रो उत्तर प्रदेश गोप्योरमेट ऐवुकल (गोप्योरमेट ऐफ गुड्स) २०१६ को ग्राह्यसित किया है। इस वैनुअल के अन्याद-१, भैषज औंक ग्राम-परमेट के अंतर्गत प्रस्तर-८.४ में समृद्धि क्रय करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं को व्यवस्था की गई है। प्रस्तर ८.४ के बिंदु १० में चह ग्राविटेशन है कि ग्राम्य शरकार जाकरी ८० वर्ष हेतु ऐसी

1- यह शासनादेश इत्यनुकूली जाए किया जाता है ताकि इस पर उत्तराधीनी अवसरकरा नहीं है।

2- इस राजनालं की प्राप्तिकाल रेख शासन <http://Gopayoramadhikaraprasaran.com> से हासिल की जा सकती है।

विकास प्रक्रिया के अधिकारित कर सकती है जो क्रय के संबन्धी 'संदर्भों के अनुरूप तथा लाभान्वित' हो। यह उल्लेखनीय है कि यह गैंगुड़ज लैटेल सामग्री के क्रय के लिए प्रभावी है तथा इसमें सेवाओं को लिए जाने को व्यवस्था नहीं है।

३- अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ सरकारी और उच्च सेवाओं की क्रय प्रक्रिया को लैटेल पोर्टल के माध्यम से ऑफलाइन अपलोड हेतु प्रैविकोर्ट डैम्प्युक्शन के गतरत-४.४ के विन्दु १८ की व्यवस्था के अन्तर्गत समझी जाएगी तथा सेवाओं को पापा करने हेतु इन सरकार के General Financial Rules-2017 के विन्दु 149 जै निहित प्राविधिकों के अनुरूप निम्न व्यवस्था एवज्यापेत की जा रही है-

(1) जो राज्यीय एवं सेवारं जैल पोर्टल पर उपलब्ध है, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध के बाबत जारी किया जा सकेगा, जो संभवी अटवा लेकर लैल उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उनके प्रदेश प्रैविकोर्ट डैम्प्युक्शन अथवा अन्य सुनिश्चित विधियों की व्यवस्था प्रैविक लागू होगी;

(2) अपरोक्षत व्यवस्था करने वाले विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा व्यवस्था के दरमें के अपव्युक्त होने वाले प्रभागित किया जाएगा।

(3) क्रय करने वाले संस्थानी विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा जैल पोर्टल का उपयोग निष्पत्ति किया जाएगा-

(i) रु० ६०,००० तक का क्रय हाँ गोर्टल पर अपलब्ध फिल्मों भी ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जा सकेगा, जो अवश्यक गुनवत्त, विशिष्टियां एवं आदृत आवश्यकता नहीं होती हैं।

(ii) रु० ६०,००० से अधिक और रु० २०,००,००० तक का क्रय जैम पर उपलब्ध होने वाली वृत्तिवाली द्वारा दिया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्ति व्यवाहारों में हो सकते हैं क्रम अनुसार वार रहा है। अनुसूत शर्त रह है कि क्रम द्वारा दीवा ऐसे विकेताओं अथवा विदेशीओं द्वारा तुलना की जारी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आदृत उचावधि को संतुष्ट करते हैं। जैम का उपलब्ध उत्तराइन बोर्डिंग जैर औनलाइन रिल्स ऑफिसल के दूसरे का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकता, अगर स्क्रम ग्राहिकारी इस संदर्भ में जिर्ण्य लेता है।

(iii) रु० ३० लाख से ऊपर के क्रय में अलियार्थी रूप से ऑफलाइन विडियो अथवा रिल्स ऑफिसल द्वारा जैम रिलेटों से व्यवस्था की जारी जारी जारी जैसा विभाग निष्पत्ति करते हुए रबरे लग गूलर ओफर करता है।

(iv) ऑनलाइन बोर्डिंग अथवा रिल्स ऑफिसल द्वारा आस्त्रण जैम पोर्टल पर उपलब्ध सभी अर्तनाम विकेताओं अथवा अन्य पंजीकृत विकेताओं को उपलब्ध कराना, जो जैम की नियर्स पर शर्तों के अन्तर्गत उपलब्ध गत्ताव करते हैं।

१. यह शानांक इनप्रूविलो जैसे विवाद नहीं है। इस पर सम्बन्धी की जारीगता नहीं है।

२. इन वाल्वेट की प्राप्तिकर्ता वर्ष साल www.mca.gov.in/ से अपडेट की जा सकती है।

(v) उत्तरोत्तर नीदिक हीमा केवल ज़ेरु के माध्यम से क्रय करते पर लागू होती। अन्य विधि से क्रय करते पर सूचनात् मौद्रिक हीमा लागू रहती।

(vi) केवल विभागों से यह मनेका की ज़रूरी है कि देश बोर्ड पर उपलब्ध व्यवसाय एनालिस्ट्स (business analytics) द्वारा, जिसमें लोन पर उपलब्ध अंतिम सम्पत्ति मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम लोन मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, या अपवाह पर मूल्यों के संबंध में औचित्य रुक्मि! पैत कर होते रहे उसके बाद ही आपको प्राप्त आदेश देंगे।

(vii) आवश्यकता को छोटे-छोटे हुवड़ी में विभक्त कर क्रय नहीं किया जाएगा।

(viii) स्वीकृत विभाग लेन बोर्ड के नियम एवं शर्तों के अधीन पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अवश्यक अधिकार प्रतिनिधित्व करने इनु आदेश विराज चलेंगे।

(ix) ज़ेरु बोर्ड के उपलब्ध औं आवे वाली खण्डित्वों को दूर करते के लिए ज़हाम, लघु एवं अध्यक्ष उचम विभाग कार्यकारी नियंत्रण लियत कर राखें।

4. इस संवेद ने युक्ते एक कक्षों का निर्देश है कि कपर उत्तरानुसार आवगत होते द्वये राजी रांपित को उपरोक्त से सुसगत नियंत्रण लियत करते का कष्ट करें।

भवदीप

(अनिल रुमार)

प्रभुग सचिव।

संख्या-11/2017/523(1)/10-2-2017-8/(एसडी)/2018, तारीखोंका

प्रमिलिए निम्नलियित को राजनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देखिए।

- 1- वहालेश्वर (लेटा, लंग लकड़ाई/लेटा, एवं एक्सिए), एकम एवं हिंदो-५, एसडी, इलाहाबाद।
- 2- प्रबुग सचिव, वी राज्यगठ, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रभुग सचिव, नालू मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश।
- 4- लाला आपोसर, मूल्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- कर्त्तव्य केन्द्रीय संकेता, आयोग, भारत सरकार, लंड मिलन।
- 6- नियेश्वर, रथनीव नियंत्रण लंक, परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 7- गाँड लाल।

इत्तम से

(अ. नतान रह)

विशेष संकेत।

1- यह आकलन इन्द्रेश्वरी जरो नाम है इति इस पर इताकार की आवश्यकता नहीं है।

2- इन शासन प्रयोगी नीं प्रगतिशील एवं नालू एसडी/एसडी-लाल-उत्तर प्रदेश से राजी रांपित की जा रहती है।